न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0:–99/2010

उनवान

1. गोकल पुत्र श्री छोटक्या जाति माली निवासी ग्राम बरखेड़ा तहसील अलवर सब तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री कन्हैया जाति माली,
2. चिम्मन पुत्र श्री कन्हैया जाति माली,
3. सम्पत पुत्र श्री कन्हैया जाति माली,
4. मनफूल पुत्र श्री कन्हैया जाति माली,
5. चरण पुत्र श्री कन्हैया जाति माली,
6. मु0 रामकुरी बेवा कन्हैया जाति माली – मृतक निवासी ग्राम बरखेड़ा तहसील अलवर सब तहसील मालाखेड़ा ।
7. चमेली पुत्री श्री कन्हैया पत्नि श्री गील्या जाति माली निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
8. मु0 सोनी पुत्री कन्हैया पत्नि श्री श्यामलाल जाति माली निवासी ग्राम बोलेटो तन धमरेड के पास तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

..... असल प्रति0/रेस्पो0

9. रामनिवास पुत्र श्री श्रवण जाति माली,
10. भगवान पुत्र श्री श्रवण जाति माली,
11. मु0 नारायणी बेवा श्रवण जाति माली निवासीयान ग्राम बरखेड़ा तहसील अलवर सब तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।
12. रामपति पुत्री श्री श्रवण पत्नि श्री कालू जाति माली,
13. बुद्धी उर्फ बच्ची पत्नि श्री हरी पुत्री श्री श्रवण जाति माली निवासी पुराना राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.....तर0 प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

15/6

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.06.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बरखेड़ा सब तहसील मालाखेड़ा में स्थित आराजी ख0 नं0 205 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 467 रका 0.02 ऐयर, 470 रकबा 0.16 ऐयर, 471 रकबा 0.22 ऐयर, 472 रकबा 0.09 ऐयर कायम हुए हैं । पूर्व में कन्हैया, मंगल पिता बुद्धा 4/5 भाग, छोटा पुत्र बल्ला 1/5 भाग की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का छोटा का निधन हो चुका है जिसका 1/5 भाग विरासत में उसके 2 पुत्र गोकल व श्रवण को प्राप्त हुआ । मंगल पुत्र बुद्धा ने अपने 2/5 भाग की आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 16.11.1972 को गोकल व श्रवण को कर दिया है । इस प्रकार गोकल व श्रवण विवादित आराजी के 3/5 भाग के व कन्हैया पुत्र बुद्धा 2/5 भाग के खातेदार काश्तकार हैं । श्रवण का निधन हो गया । श्रवण के वारिस प्रतिवादी सं0 9 ल0 14 है जो श्रवण के हिस्से पर काबिज हैं । कन्हैया का भी निधन हो चुका है । प्रतिवादी सं0 1 ल0 8 उसके वारिस है । वादी व तरतीबी सं0 9 ल0 14 विवादित आराजी के 3/5 भाग यानि 1 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं । असल प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा 2/5 भाग यानि रकबा 15 बिस्वा पर कब्जा काश्त नहीं है बल्कि इनका मात्र 7 बिस्वा रकबा पर ही काबिज काश्त है । इस प्रकार शेष 8 बिस्वा पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है । हमारे कब्जे को 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है । एडवर्श पजेशन के आधार पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को 8 बिस्वा रकबा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अतः प्रतिवादी सं0 1 ल0 8 के पिता व पति कन्हैया को 2/5 भाग यानि 15 बिस्वा के खातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वे विवादित आराजी के 1 बीघा 12 बिस्वा रकबे में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत ना करें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दिनांक 27.08.2010 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 27.08.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि

विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 205 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 467, 470, 471, 472 कायम किये गये हैं, में पूर्व में कन्हैया, मंगल पुत्रान बुद्धा 4/5 भाग व छोटा पुत्र बल्ला 1/5 भाग के खातेदार काश्तकार थे । छोटा का स्वर्गवास हो चुका है जिसमें 1/5 हिस्से उसके 2 पुत्र अपीलांट मंगल व रेस्पो0 सं0 9 ल0 13 के पिता श्रवण के हिस्से में आ चुकी है । विवादित आराजी ग्राम बरखेड़ा में स्थित है जो जागीरदारी का गांव था । उस वक्त समस्त आराजी का सैटलमेन्ट सम्वत् 2014 में हुआ था । इस आररजी के 4/5 भाग के खातेदार कन्हैया, मंगल से मंगल के 2/5 हिस्से का अपीलांट के पिता द्धारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया । इस प्रकार अपीलांट के पिता का उक्त आराजी पर 1/12 हिस्से में कब्जा काश्त हो गया । इस कुल आराजी 1 बीघा 19 बिस्वा में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का 1 बीघा 12 बिस्वा पर कब्जा काश्त रहा है और 7 बिस्वा पर रेस्पो0 का कब्जा दर्ज किया गया है । इस आधार पर प्रतिवादीगण की जो खातेदारी 2/5 अर्थात 15 बिस्वा पर खातेदारी जो इन्द्राज चल रहे हैं उसे अपीलांट कलमजन कराने का अधिकारी है क्योंकि प्रतिवादीगण का 2/5 हिस्से यानि 15 बिस्वा पर कब्जा काश्त न होकर केवल 7 बिस्वा पर ही कब्जा काश्त है । इस प्रकार से वादी / अपीलांट साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2018 एक्जी.7 के इन्द्राज को कलमजन कराकर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

बहस में आगे अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि कुल रकबा में से 7 बिस्वा को छोड़कर 1 बीघा 12 बिस्वा पर बकाश्त एवं एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही जा रही है । इस संबंध में कानूनी नजीर आर.आर.टी. 1991 पेज 1 एवं आर.आर.डी. 1984 पेज 674 का हवाला देते हुए कहा कि लम्बे कब्जे के आधार पर अपीलांट खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । आगे यह भी कहा कि नयी आर.आर.टी. 2011 में यद्यपि एडवर्श पजेशन को नहीं माना गया है अर्थात पुरानी आर.आर.डी. के निर्णय को सुपरशीड भी नहीं किया गया है । अतः अपीलांट को 8 बिस्वा की खातेदारी प्रदान की जावें ।

रेस्पो0 व उनके अभिभाषक बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2010 का अवलोकन किया तथा विद्धान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट के द्धारा विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 205 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में अपने हिस्से से अधिक 8 बिस्वा रकबे पर एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है । साबिक रेकार्ड व हाल रेकार्ड के अनुसार अपीलांट विवादित आराजी में 3/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं । अपीलांट द्धारा ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वे शेष रकबे 2/5 हिस्से से 8 बिस्वा पर लम्बे समय से काबिज काश्त रहे हो । चूंकि आर.आर.टी. 2011 कानूनी नजीरों के आधार पर एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं और तहत न्यायालय के द्धारा इस संबंध में विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

A/196

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2010 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर